न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 39/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती आसुडी पुत्री स्व0 सुखराम पत्नी बंशीलाल जाति विश्नोई निवासी ग्राम पीथावास तहसील व जिला जोधपुर		1– श्रीमती रूकमादेवी पत्नी सुखराम जाति विश्नोई निवासी खेजडला कलां, तहसील लूनी हाल निवासी सावलता तहसील रोहट जिला पाली 2– ग्राम पंचायत खेजडली जरिये सरपंच, पंचायत समिति लूनी 3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूनी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 5–2–2020 जो न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा राजस्व अपील संख्या 9/2019 अनवान श्रीमती आसुडी बनाम श्रीमती रूकमादेवी वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री ओम प्रकाश अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेजडली कला तहसील जोधपुर स्थित खसरा नंबर 190 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा भूमि के सुखराम, मांगीलाल, सुरजाराम पि0 मीराराम के सहखातेदारी की थी । उक्त भूमि के सहखातेदार सुखराम के देहांत होने पर उसके 1/3 हिस्से की भूमि के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 218 के द्वारा मु0 रूकमादेवी पत्नी सुखराम को नाम दर्ज करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत खेजडली कलां द्वारा दिनांक 19–7–78 को स्वीकृत किया गया था, उक्त म्युटेशन संख्या 218 की जानकारी अपीलार्थियां को होने पर उक्त म्युटेशन संख्या 218 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय की प्रस्तुत की कि वह मृतक खातेदार सुखराम की एकमात्र जायंदा पुत्री है परंतु उक्त म्युटेशन मे मृतक खातेदार सुखराम के वारिसान की जांच किये बिना उसकी पत्नी रूकमादेवी का नाम दर्ज कर दिया जबकि वह मृतक खातेदार सुखराम की जायंदा पुत्री है जो मृतक के प्रथम श्रेणी की वारिस होते हुए उसे अपने पिता के खातेदारी भूमि से वंचित रखते हुए जो म्युटेशन स्वीकृत किया है, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त कर मृतक सुखराम के वारिसान की जांच कर नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार लूनी को रिमाण्ड करने

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–2–2020 के द्वारा अपीलार्थियां की अपील को खारीज कर दी जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियां ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । अपीलार्थियां की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत खेजडली कलां ने अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 218 मृतक खातेदार सुखराम के विधिक वारिसान की जांच किये बिना स्वीकृत कर दिया इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को खारीज करने मे अधीनस्थ न्यार्यालय ने विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलार्थियां ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे मृतक खातेदार सुखराम को ला–औलाद फोत होना मानने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि नामांतरकरण संख्या 218 का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि पटवारी हल्का ने उसके जायंदा लडके के नाम उतराधिकार दाखिल कर प्रस्तुत किया जिसमे कांटछांट कर अकेली मृतक खातेदार सुखराम की पत्नी रूकमादेवी का नाम ही दर्ज किया जबकि अपीलार्थियां मृतक खातेदार सुखराम एवं रूकमादेवी की जांयदा संतान है ।

वकील अपीलार्थियां ने कथन किया कि अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं को मृतक खातेदार सुखराम की पुत्री होने बाबत दस्तावेजी सबूत यथा राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत खेजडलीकलां का प्रमाण पत्र, हरिराम पुत्र मांगीलाल जो कि आसूडी का चचेरा भांई है, का शपथपत्र आदि प्रस्तुत किये जिन्होने अपीलार्थियां आसूडी को मृत खातेदार सुखराम की पुत्री होना बताया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 218 को सही बताते हुए अपीलार्थियां की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलार्थियां ने अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न अपीलार्थियां आसुडी का जन्म प्रमाण पत्र जिसमे पिता का नाम सुखराम होना बताया गया है तथा उक्त जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु ग्राम पंचायत खेजडली कलां द्वारा दिनांक 13–2–2013 को जारी किया हुआ है, प्रस्तुत किया है, इसके अलावा मोहनीदेवी पत्नी विरमराम पुत्री मीराराम जो कि मृतक खातेदार सुखराम की बहन तथा अपीलार्थियां की भुआ है, का भी शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमे अपीलार्थियां आसूडी को सुखराम एवं रूकमादेवी की जायंदा संतान होना बताया तथा उक्त शपथपत्र मे यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1

श्रीमती रूकमादेवी उसके भाई सुखराम के देहांत के बाद उसके दूसरे भाई मांगीलाल से नाता विवाह कर लिया था तथा कथन किया कि आसूडी का विवाह बंशीलाल पुत्र जोधाराम निवासी पीथावास के साथ सम्पन्न हुआ था तथा अपीलार्थियां आसूडी को मृतक खातेदार सुखराम की ही संतान होना बताया है ।

वकील अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई कारण दिये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए ऐसा आदेश विधि के सुस्थापित नियमो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलार्थियां ने कथन किया कि चूँकि अपीलाधीन नामांतरकरण बिना मृतक के उतराधिकारियो की जांच किये तथा अपीलार्थियां जो कि मृतक खातेदार की जायदा पुत्री है, को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया होने से ऐसा आदेश शून्य आदेश की श्रेणी का होने से उसे कभी भी चुनौती देकर निरस्त करवाया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 218 दोनो को निरस्त कर अपीलार्थियां का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ने अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 218 विधिवत जांच के बाद ही स्वीकृत किया था तथा कथन किया कि अपीलार्थियां ने उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अत्यधिक विलंब से अपील पेश की थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थियां की अपील मयाद बाहर भी थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलार्थियां की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलार्थियां आसूडी मृतक खातेदार सुखराम की जायदा पुत्री नही है बल्कि मांगीलाल की पुत्री है तथा कथन किया कि मांगीलाल मृतक सुखराम का ही भाई है । वकील अपीलार्थियां ने कथन किया कि सुखराम की शादी के 2 माह बाद ही उसकी हत्या हो जाने से उसकी पत्नी वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 रूकमादेवी ने मृतक सुखराम के भाई मांगीलाल से नाता विवाह कर लिया था तथा अपीलार्थियां मांगीलाल की पुत्री है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 218 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को विधिवत निर्णित करते हुए खारीज करने मे किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नही है इसलिए अपीलार्थियां की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के अध्ययन उपरांत कथन किया कि तहसीलदार को मृतक खातेदार सुखराम के विधिक

वारिसान की जांच कर नये सिरे से म्युटेशन की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा वर्तमान अपील मे अपीलांट द्वारा बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो आदि का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

ग्राम खेजडली कला तहसील जोधपुर स्थित खसरा नंबर 190 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा भूमि सुखराम, मांगीलाल, सुरजाराम पि0 मीराराम के सहखातेदारी की थी । उक्त भूमि के सहखातेदार सुखराम के देहांत होने पर उसके 1/3 हिस्से की भूमि के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 218 मे केवल मु0 रूकमादेवी पत्नी सुखराम का नाम दर्ज करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत खेजडली कलां द्वारा दिनांक 19–7–78 को स्वीकृत किया गया था, उक्त म्युटेशन संख्या 218 के विरूद्ध अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूं राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय की प्रस्तुत की कि वह मृतक खातेदार सुखराम की एकमात्र जायंदा पुत्री तथा प्रथम श्रेणी की वारिस है परंतु उक्त म्युटेशन में मृतक खातेदार सुखराम के वारिसान की जांच किये बिना अकेली मतृक की पत्नी रूकमादेवी का नाम दर्ज कर दिया जबकि मृतक की पत्नी के साथ उसका नाम भी मृतक खातेदार सुखराम की जायंदा पुत्री के रूप मे दर्ज किया जाना चाहिये था इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन विधि अनुकुल नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थियां ने स्वयं को मृतक खातेदार सुखराम की पुत्री होने बाबत दस्तावेजी सबूत यथा राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत खेजडलीकलां का प्रमाण पत्र, हरिराम पुत्र मांगीलाल जो कि आसूडी का चचेरा भाई है, का शपथपत्र आदि प्रस्तुत किये जिन्होने अपीलार्थियां आसूडी को मृत खातेदार सुखराम की पुत्री होना बताया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 218 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को बिना जांच कराये सरसरी तौर पर खारीज करने बाबत जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

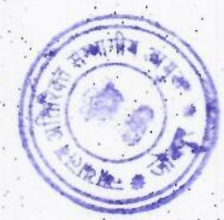

वर्तमान अपील मे भी अपीलार्थियां ने अपनी बहस के समर्थन मे स्वयं को मृतक खातेदार सुखराम की पुत्री होना साबित करने के लिए फार्म नंबर 3 के सलंग्न अपीलार्थियां आसुडी का जन्म प्रमाण पत्र जिसमे पिता का नाम सुखराम होना बताया गया है तथा उक्त जन्म प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु ग्राम पंचायत खेजडली कलां द्वारा दिनांक 13–2–2013 को जारी किया हुआ है, प्रस्तुत किया है, इसके अलावा मोहनीदेवी पत्नी विरमराम पुत्री मीराराम जो कि मृतक खातेदार

सुखराम की बहन तथा अपीलार्थियां की भुआ है, का भी शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमे अपीलार्थियां आसूडी को सुखराम एवं रूकमादेवी की जायंदा संतान होना बताया तथा उक्त शपथपत्र में यह भी उल्लेख किया कि मेरी भतीजी श्रीमती आसूडी के जन्म के बाद मेरे भाई सुखराम का स्वर्गवास हो गया था तथा विश्नोई जाति के रीति रिवाज अनुसार विधवा विवाह प्रचलित है इसलिए वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती रूकमादेवी ने उसके पति सुखराम के भाई एवं अपने देवर मांगीलाल से नाता विवाह कर लिया था तथा कथन किया कि आसूडी का विवाह बंशीलाल पुत्र जोधाराम निवासी पीथावास के साथ सम्पन्न हुआ था तथा अपीलार्थियां आसूडी को मृतक खातेदार सुखराम की ही संतान होना बताया है । जबकि रेस्पो0 अधिवक्ता ने ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह माना जा सके कि अपीलार्थियां आसूडी मृतक खातेदार सुखराम की पुत्री न हो ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 5–2–2020 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 218 पर ग्राम खेजडला कलां द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लूनी को मृतक खातेदार सुखराम के विधिक वारिसान की जांच करवाकर पुनः नये सिरे से म्युटेशन की विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर